छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

(छ.ग. शासन आदिम जातिं अनसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास)

Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking S.T.S.C. O.B.C. & Minority Development)

क्रमांक/299 /यो. /कार्य.वि./ 2020-21 — अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2020

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी
/प्रभारी कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. (सर्व)
.... (छ.ग.)

विषयः- स्व सहायता समूह हेतु दिशा निर्देश भेजनें बावत्।

-00-

विषयांतर्गत, दिनांक 24.06.2020 को विडियो कांफ्रेस में दिये गए निर्देश के परिपालन में स्व सहायता समूहो को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य अंत्या.सह.वि.वि.निगम,
अटल नगर नवा रायपुर

स्वसहायता समूह

- स्वसहायता समूह समान सामाजिक एंव आर्थिक पृष्ठ भूमि वाले 10-15 सदस्यो का एक स्वैच्छिक समूह है। जो नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोडी थोडी बचत करते है, व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते है। सामूहिक निर्णय लेते है। सामूहिक नेतृत्व द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते है। समूह द्वारा तय किये गए नियमों एवं शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराते है। इसी कड़ी में स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं, पुरूषों, युवक, युवतियों को आत्मनिर्भर कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना है।
- <u>स्वसहायता समूह का उद्देश्य</u> :- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का समूह बनाकर उन्हें रोजगार देना, आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना, व्यवसायिक मानसिकता निर्मित करना, स्वचलित होकर अग्रसर होने का प्रयास करना इत्यादि।
- <u>स्वसहायता समूह का पंजीयन</u> :- स्वसहायता समूह का फर्म एवं सोसाइटी के धारा-7 के अधीन हो या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के वेब पोर्टल पर पंजीकरण।
- <u>स्वसहायता समूह में सदस्यों की संख्या</u> :- स्वसहायता समूह में 10 सदस्य होंगे या अधिकतम 15 सदस्य रह सकते हैं।
- <u>स्वः सहायता समूह की योग्यता एवं शर्त</u> :-

(1) जिले के मूल निवासी हो।

(2) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हो। (प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)

(3) स्वसहायता समूह के सदस्यों की आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 50 वर्ष तक हो।

(4) गरीबो में गरीब एंव गरीब परिवार की महिला सदस्यो से स्वसहायता समूह का गठन कराना।

(5) स्वसहायता समूह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यो को शामिल करते हुए गठित हो, ऐसी स्थिति में संबधित वर्ग के 80 प्रतिशत सदस्य तथा अन्य वर्ग, के 20 प्रतिशत सदस्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं।

(6) पिछडा वर्ग समूह होने पर पिछडा वर्ग के 60 प्रतिशत सदस्य तथा 40 प्रतिशत अन्य वर्ग के सदस्य हो सकते है।

(7) समूह को प्रतिमाह सभी सदस्यो के साथ मिलकर बैठक कराना होगा। माह भर में जो कार्य किये गए हैं कि प्रगति या अन्य व्यवसायिक कार्य किये है जानकारी दें, लेखा जोखा का हिसाब रखना इत्यादि।

(8) समूह द्वारा एक बैठक पंजी रखना होगा, पंजी में सभी सदस्य अपनी उपस्थिति संबधी हस्ताक्षर करेंगें, कार्यवाही विवरण लिखा जावेंगा। कार्यवाही विवरण का समय समय में सभी सदस्य अवलोकन कर सकेंगें। बाहर से आने वाले अधिकारी/कर्मचारी को भी अवलोकन कराया जा सकता है।

(9) स्वसहायता समूह अपने कार्य करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा समूह द्वारा चाहे जाने पर सलाह या समझाईश दी जा सकेगी।

(10) एनआरएलएम, एवं अन्य शासकीय संस्थाओं से पंजीकृत एंव सक्रिय स्वसहायता समूहों को राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में ऋण देने हेतु चयन किया जावें।

- जिला सूरजपुर में समूहों द्वारा संचालित ट्राइबल मार्ट के तर्ज पर अन्य जिलो में भी कार्य किया जावें एवं उनके उत्पादो को विक्रय हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए, आंगनबाडी, स्कूल, आश्रम एंव छात्रावास में पूर्ति कराया जावें। आगामी शिक्षा सत्र से समस्त छात्रावास/ आश्रमों में भी दैनिक सामग्री क्रय स्वसहायता समूहों से ही करने के निर्देश समस्त सहायक आयुक्तो को दिया गया है, अतः उनसे एवं एनआरएलएम से समन्वय स्थापित कर ऐसे समूहों को चिन्हित करें तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जावें एवं उनको व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया जावें। अभी तक जिलो में पांरपरिक तरीके के प्रकरण बनाये जाते है, जबकि अलग एवं जिले की आवश्यकतानुसार नये व्यवसाय के प्रकरण तैयार किया जाना चाहिए। जिसमें कृषि, पोल्ट्री, डेयरी एंव मत्स्य पालन, उद्यानिकी जैसे व्यवसायों को लिया जा सकता है।
- समूहो का ऋण प्रस्ताव तैयार कर चयन समिति से चयन करावें तथा मांग पत्र अविंलम्ब भेजें।
- <u>ऋण आवेदन</u> :- ऋण आवेदन पत्र प्रत्येक सदस्य के नाम पर तैयार कर समूह का स्वरूप देकर कार्यालय में जमा किया जावेंगा। आवेदन में प्रत्येक सदस्य की सहमति पत्र हस्ताक्षर होगी। समूह को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष लेन देन करेंगें, ताकि सभी सदस्यो कों बार -बार कार्यालय आना ना पडें।
- <u>वित्तीय व्यवस्था</u> :- जो स्वसहायता समूह अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है, उनको पूंजी की कमी होती है, ऐसी स्थिति में छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय अपने संचालित योजनाओं के माध्यम से उन्हें ऋण के रूप में उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यशील पूंजी 5 वर्ष के लिए उपलब्ध कराएगी। एक समिति को प्रति हितग्राही रू. 50.00 हजार या 1.00 लाख के मान से 10 से 15 हितग्राही हेतु रू. 5.00 से 10.00 लाख तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जावेंगी।
- <u>अनुदान की पात्रता:-</u> जो सदस्य गरीबी रेखा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा, उन्हे अनुदान की पात्रता होगी। प्रति हितग्राही रू. 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) के मान से राशि रू. 1.00 लाख तक अंत्योदय स्वरोजगार योजना के मद से अनुदान दिया जा सकेगा।
- <u>ऋण की वापसी</u> :- स्वसहायता समूह से 60 समान किश्तों में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किश्त के रूप में मूलधन की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

प्रबंध संचालक
छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वि.वि. निगम
अटल नगर नवा रायपुर